

षष्ठम बैठक

दिनांक 6-9-88

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-8-88 में विचारणीय विषयों की सूची :-

| मद संख्या | विषय | पृष्ठ सं० |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1- | विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि तथा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन । | 1 |
| 2- | हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना के संबंध में विचार | 2 |
| 3- | शासन द्वारा बनाई गई भवन उप-विधियों के संबंध में विचार | 3 |
| 4- | भावी योजनाओं हेतु भूमि के अधिग्रहण की प्रगति के संबंध में । | 4 |
| ✓ 5- | ले-आउट प्लान स्वीकृत करते समय विकास शुल्क का आरोपण | 5 |
| 6- | अधिकेक्षा में भूमि के अनधिकृत विभाजन के दो मामलों पर विचार । | 6 |
| 7- | हर की पौड़ी के समीप मानचित्रों की स्वीकृति के संबंध में । | 7 |
| 8- | विकास व्यय का कुछ भाग नगरपालिका हरिद्वार को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में । | 8 |
| 9- | हरिद्वार विकास क्षेत्र में सौदयीकरण की दृष्टि से भवनों का रंग निर्धारित करने के संबंध में । | 9 |
| 10- | कमजोर बगों को विकास शुल्क एवं सेट बैक में छूट के संबंध में | 10 |
| 11- | पाकों के विकास एवं अनुरक्षण के संबंध में । | 11 |
| 12- | अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय | |

विषय:- विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि तथा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन ।

प्राधिकरण की विगत बैठक दिनांक 16-3-88 को हुई थी। कार्यवाही की प्रतियां सभी सदस्यों को प्रेषित की गई थी । प्राधिकरण के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करने की कृपा की जाय । विगत बैठक में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन :-

विगत बैठक में लिए गए निर्णयों पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई:-

| मद सं० | विषय | कार्यवाही |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- | पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि तथा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन | कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । |
| 2- | हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना के संबंध में विचार । | इस संबंध में पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है । |
| 3- | विनियमों को लागू करने पर विचार | निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है । |
| 4- | विकास उपविधियों को लागू किए जाने के संबंध में विचार । | शासन द्वारा प्रेषित नई भवन उप-विधियां प्राधिकरण के समक्ष पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है । |
| 5- | हरीकी पौड़ी के समीप मानचित्रों की स्वीकृति के संबंध में । | इस संबंध में पुनः एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है । |
| 6- | वर्ष 1988-89 के आय-व्यय पर विचार । | निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है । |
| 7- | भारत माता मंदिर के निकट पार्किंग हेतु भूमि अर्जन का प्रस्ताव । | कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । |
| 3,9 एवं 10- | ग्राम जगजीतपुर, ज्वालापुर एवं भूपतवाला में भूमि अर्जन का प्रस्ताव | निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है । |
| 11- | प्राधिकरण में विचाराधीन दो पत्रावलियों पर निर्देश प्राप्त करने के संबंध में । | कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । |
| 12- | अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय | |
| 1- | प्राधिकरण कार्यालय में न्यूनतम स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में । | निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है । |

बैठक का स्थान - नगरपालिका सम्मेलन

समय - 11:00 बजे पूर्वदिन

उपस्थिति

- 1- श्री के० चन्द्र मौलि, जिलाधिकारी, सहारनपुर अध्यक्ष
 - 2- श्री हरीशचन्द्र श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण। उपाध्यक्ष
 - 3- श्री हरेकृष्ण शर्मा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ सदस्य
 - 4- श्री के०पी०वाष्णोय, अधीक्षण अभियन्ता, 32वां वृत्तला०नि०वि० सदस्य सहारनपुर।
 - 5- श्री एस०पी०गंगल, महा प्रबंधक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, हरिद्वार। प्र०सदस्य
 - 6- श्री डाल चन्द्र छापर, 140 फ़ावपुरा, कनखाल-हरिद्वार सदस्य
 - 7- श्री सुरेश कुमार शर्मा, लालकूवा, कनखाल, हरिद्वार। सदस्य
- अन्य अधिकारीगण

- 1- श्री वी०के० गुप्ता, सहयुक्त नियोजक, मेरठ।
- 2- श्री कुंवर सिंह, एस०डी०एस०/आर०एस०, हरिद्वार।
- 3- श्री जे०के०एस०नेगी, डिप्टी कलेक्टर, विजनौर।
- 4- श्री डी०वी० भट्ट, सचिव, न०टीफाइड हरिया, मुनिकी रेली।

मद संख्या:- 1 विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि तथा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन।

प्राधिकरण की विगत बैठक दिनांक 16-3-88 की कार्यवाही की प्रतियां सभी सदस्यों को प्रेषित की गई थी। निर्णयों के क्रियान्वयन संबंधी सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, गैर सरकारी सदस्य ने कहा कि विगत बैठक की मद संख्या-11 में एक ले आउट प्लान के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जो निर्णय लिया गया था उसे सही ढंग से नहीं लिखा गया तथा इस पर कानूनी राय नहीं ली गई। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि उक्त ले आउट प्लान से संबंधित भूमि का निरीक्षण किया गया था और कानूनी राय भी प्राप्त की गई थी। उक्त ले आउट प्लान उपाध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

श्री सुरेश कुमार शर्मा तथा श्री डाल चन्द्र छापर ने यह कहा कि प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे निर्णयों का स्तर ठीक नहीं है। प्राधिकरण

के अधिकारीगण गैर सरकारी सदस्यों को इन योजनाओं का स्थल निरीक्षण नहीं कराते हैं न ही पत्रावलियां दिखाते हैं। इस पर उपाध्यक्ष ने कहा कि प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ गैर सरकारी सदस्यों का स्थल निरीक्षण करना व्यावहारिक नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्यों को योजनाओं का स्थल निरीक्षण कराने हेतु आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराने संबंधी किसी अधिकारी के साथ जाने की अनिश्चितता नहीं होगी।

विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि तथा निर्णयों के क्रियान्वयन।

सद संख्या:- 2

विषय:- हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना के संबंध में विचार ।

प्राधिकरण की विगत बैठक में सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, मेरठ ने यह आश्वासन दिया था कि हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना के भाग "व" का प्रारूप दो माह में तैयार कर लिया जायेगा एवं जिलाधिकारियों से परामर्श के पश्चात् प्राधिकरण की इस बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा । विकास क्षेत्र के इस भाग में अजिकेवा, स्वर्णप्रम, आत-नात के वन क्षेत्र एवं देहरादून जिले के राजस्व ग्राम आते हैं । महायोजना तैयार न होने के कारण अनियन्त्रित विकास को बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रकरण पर प्राधिकरण का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रस्ताव है कि इस प्रारूप को शीघ्र तैयार करने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से अनुरोध किया जाये ।

महायोजना प्रारूप भाग "अ" का प्रकाशन करके आपत्तिय आमंत्रित की गई थी, इन आपत्तियों की सुनवाई हेतु शासन द्वारा एक समिति गठित की जा चुकी है । आपत्तियां विभागीय टिप्पणी तैयार करने हेतु सहयुक्त नियोजक, मेरठ के कार्यालय में भेजी गई थी । विभागीय टिप्पणी तैयार करने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की एक टीम द्वारा भौतिक सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है । इस टीम के साथ लगाये गये प्रमिकों के व्यय भार का वहन प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, अतः प्रस्ताव है कि इस व्यय भार का अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की जाये ।

मद संख्या:- 2 हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना के संबंध में विचार ।

इस मद में हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना भाग "ब" इन्फ्रिस्ट्रक्चर, स्वर्गाश्रम, मुनिकी रेती, वन क्षेत्र एवं आसपास के राजस्व ग्रामों की शीघ्र तैयारी हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । श्री हरे कृष्ण शर्मा, बरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया था कि विगत बैठक दिनांक 16-3-88 में सहयुक्त नियोजक, मेरठ द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि इस क्षेत्र की महायोजना का प्रारूप दो माह में तैयार करके संबंधित जिलाधिकारियों से परामर्श प्राप्त कर लिया जायेगा, परंतु अब तक इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है । श्री हरे कृष्ण शर्मा, बरिष्ठ नियोजक ने कहा कि इस क्षेत्र के सर्वेक्षण में कठिनाइयाँ आ रही है फिर भी अगले दो माह में यहाँ की महायोजना का प्रारूप तैयार कराने का हर संभव प्रयास किया जायेगा ।

इसी मदमें यह भी प्रस्ताव रखा गया था कि महायोजना प्रारूप भाग "अ" पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु जो भौतिक सर्वेक्षण कार्य तत्पन् हो रहा है उसके व्यय भार का वहन प्राधिकरण द्वारा किया जाना है। यह भौतिक सर्वेक्षण कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की एक टीम द्वारा किया जा रहा है । सर्वतम्मति से निर्णय लिया गया कि भौतिक सर्वेक्षण टीम तथा उसके साथ लगाये गये श्रमिकों के व्यय भार का वहन प्राधिकरण द्वारा किया जाये ।

सद संख्या :- 3

विषय :- शासन द्वारा बनाई गई भवन उप-विधियों के संबंध में विचार।

शासनादेश संख्या-14/11-5-88 दिनांक 18-3-88 द्वारा विकास प्राधिकरणों के लिए मांडल विल्डिंग वाईलाज भेजे गए हैं और यह निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इन उप-विधियों को प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कर के शासन को सूचित किया जाय। इन भवन उप विधियों की प्रति प्राधिकरण के सरक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है। प्राधिकरण से निवेदन है कि इन भवन उप-विधियों पर विचारोपरान्त इसे अंगीकृत करने के प्रश्न पर विचार किया जाय।

मद संख्या:-3

ज्ञासन द्वारा बनाई गई भवन उपविधियों के संबंध में विचार ।

इस मद में प्रस्ताव था कि ज्ञासनादेश संख्या- 14/11-5-88 दिनांक 18-3-88 द्वारा भेजे गए मांडल बिल्डिंग बाइलाज को प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किया जाये । मांडल बिल्डिंग बाइलाज की साइक्लोस्टाइल की गई प्रतियां सभी सदस्यों को बैठक में उपलब्ध कराई गईं। उपाध्यक्ष ने कहा कि मांडल बिल्डिंग बाइलाज में बहुत सी त्रुटियां एवं विसंगतियां हैं। अध्यक्ष महोदय

- 3 -

तथा सदस्यों ने कहा कि इन बाइलाज को पढ़ने के बाद ही वह अपनी राय दे सकेंगे। सदस्यों से अनुरोध किया गया कि बिल्डिंग बाइलाज के संबंध में उनके यदि कोई सुझाव या विचार हों तो उन्हें एक माह के भीतर अवगत कराएं । उचित होगा कि अगली बैठक के लिए इन बाइलाज के मुख्य विन्दुओं पर एक टिप्पणी भी तैयार कर ली जाये। विचारोपरात निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

विषय:- भावी योजनाओं हेतु भूमि के अधिग्रहण की प्रगति के संबंध में ।

प्राधिकरण की विगत बैठक में आगामी योजनाओं हेतु निम्न-लिखित योजनाओं पर भूमि अर्जित किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था :-

| क्र०सं० | ग्राम का नाम | क्षेत्रफल [हेक्टेयर में] | अनुमानित मूल्य [लाख रु० में] |
|---------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1- | ज्वालापुर | 8.4 | 5.47 |
| 2- | जगजीतपुर | 49.5 | 132.24 |
| 3- | भोगतवाला | | |
| | [क] | 28.7 | 415.05 |
| | [ख] | 6.5 | 169.91 |
| | | 93.1 | 722.67 |

भूमि अर्जन हेतु आवश्यक धनराशि जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करने के बाद ही इन भूमियों के बारे में धारा-4 का नोटीफिकेशन हो सकेगा । सरकार से पूछा गया है कि इसमें से कितनी धनराशि इस वित्तीय वर्ष में इस प्राधिकरण को उपलब्ध हो सकेगी, साथ ही प्रथम किस्त के रूप में रु० 50 लाख की मांग भी की गई है ताकि कुछ कार्यवाही आगे बढ़ सके । इस संबंध में सरकार से अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त भूमियों के कुछ हिस्सों पर प्राधिकरण में ले-आउट/भवन मानचित्र भी दाखिल होते हैं, परन्तु इन मानचित्रों पर स्वीकृति नहीं प्रदान की जाती है। प्रायः यह बात उठाई जाती है कि या तो प्राधिकरण इन भूमियों को शीघ्र अधिग्रहीत करे या यहां के मानचित्र/ले-आउट स्वीकृत करे। धनाभाव के कारण भूमि अर्जन के इन प्रस्तावों की प्रगति रुकी हुई है ।

उपर्युक्त विन्दु पर प्राधिकरण का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि इस विषय पर मार्ग दर्शन करने की कृपा की जाय ।

इस मत में ज्वालामुख के आसपास भूमि अर्जित में आ रही कठिनाइयों पर प्राधिकरण का ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्देश दिये गए थे जहाँ से ज्वालामुख तथा भोपतवाला की भूमि के कुछ हिस्सों पर ले आउट दाखिल हुए हैं। भू-स्वामियों द्वारा यह बात उठाई जाती है कि या तो प्राधिकरण इन भूमियों को शीघ्र अर्जित करे अथवा यहाँ के ले आउट प्लान स्वीकृत करे। यह विन्दु भी प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया ।

श्री एतप्पी०गंगल, महा प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, हरिद्वार ने यह मत व्यक्त किया कि ललताराव नाले से हरकी वैड़ी क्षेत्र, भोपतवाला एवं भीमगोडा क्षेत्र की तीवर व्यवस्था अत्यधिक पुरानी है और तीवर लाइनों में कहीं भी रुकावट होने से गंगा प्रदूषण का भय उत्पन्न हो

- 4 -

अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि कोई जरूरी नहीं कि प्राधिकरण भूमि अर्जित करके अपनी योजनाएँ बनायें, वह निजी क्षेत्र द्वारा भी आवासीय सैक्टर इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित कर सकता है और वह केवल मास्टर प्लान और भवन निर्माण का रेगुलेशन कर सकता है । अतः या तो किसी भी भूमि का अर्जन न किया जाये या यदि किसी व्यक्ति विशेष की भूमि पर ले-आउट दाखिल हुआ है तो उसे कोई छूट न दी जाय ।

श्री डाल चन्द्र छापर एवं श्री सुरेश कुमार शर्मा ने पुनः कहा कि पूर्व में दो मामलों में ऐसी छूट दी गई है । प्राधिकरण के सचिव ने बैठक को सूचित किया कि दिनांक 30-11-87 की बैठक में दो भूमियों के अर्जन के प्रस्ताव रखे गए थे, जिन पर प्राधिकरण का अनुमोदन ही नहीं हुआ अतः शासन के प्रावधानों से कोई छूट नहीं दी गई ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा ने यह भी कहा कि भोपतवाला की भूमि में बहुत बड़े गड्ढे हैं और भूमि के सुधार के बाद जो योजना बनाई जायेगी वह महंगी पड़ेगी । यह स्थान योजना हेतु उपयुक्त नहीं है ।

उपर्युक्त विन्दुओं पर विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

1- ज्वालामुख तथा भोपतवाला की भूमियों के ले आउट प्लान केवल इस आधार पर अस्वीकृत न किए जायें कि वे ले आउट प्लान उस तिथि के बाद दाखिल हुए हैं जिस तिथि को प्राधिकरण की बैठक में भूमि अर्जन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था । इन भूमियों के बारे में शासनादेश में वर्णित "निर्णायक तिथि" आज की बैठक की तिथि 16-9-88 मानी जायेगी ।

2- अर्जित की जाने वाली भूमि की उपयुक्तता हेतु एक समिति गठित कर ली जाय जिसमें उपाध्यक्ष के अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के अधिकारी हों। जो भूमि आवासीय योजना हेतु उपयुक्त पाई जाय उसके अर्जन हेतु हठको से इन्फेसिबिल कार्यवाही की जाय ।

सद संख्या:-5

विषय:- ले-आउट प्लान स्वीकृत करते समय विकास शुल्क का आरोपण ।

शासन ले आउट प्लान स्वीकृत करते समय विकास शुल्क का आरोपण की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है । शासनादेश संख्या-5748/11-5-86-52 दिनांक 12 अगस्त, 1986 में विकास शुल्क लिए जाने हेतु सामान्य सिद्धान्त तय किए गए हैं परंतु उस शासनादेश में यह नहीं स्पष्ट किया गया है कि कालोनी का आंतरिक तथा बाह्य विकास कालोनाइजर से सुनिश्चित करवाने हेतु कौन-कौन सी सावधानियां बरती जाएंगी ।

उक्त निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 के अंतर्गत जारी निर्देशों में यह व्यवस्था थी कि कालोनी के "आंतरिक विकास" एवं "बाह्य विकास" को कालोनाइजर से सुनिश्चित करवाने हेतु कालोनाइजर से एक तन्हाता किया जाय तथा उससे बंधित मात्रा में गारंटी के रूप में धन भी जमा करा लिया जाय । शासन द्वारा ही जारी किए गए एक अन्य निर्देश में गारंटी के लिए कुछ प्लानों को बन्धक रखाने का भी प्रविधान बताया गया है ।

प्राधिकरण द्वारा ले-आउट प्लान स्वीकृत करते समय आन्तरिक विकास व्यय एवं बाह्य विकास व्यय निर्धारण तथा कालोनी के विकास को सुनिश्चित कराने हेतु निश्चित प्रक्रिया तय होनी आवश्यक है । यह प्रक्रिया शासनादेश दिनांक 12 अगस्त, 1986 की भांति के अनुकूल होनी चाहिए ।

अतः प्रस्ताव है कि इन विन्दुओं पर विचारोपरान्त प्रक्रिया निर्धारण करने की कृपा की जाय ।

इस मद में यह प्रस्ताव रखा गया था कि कालोनियों के ले आउट प्लान स्वीकृत करते समय आंतरिक विकास व्यय एवं वाह्य विकास व्यय को कालोनाइजर्स से सुनिश्चित कराने हेतु गाम्बिया देश संख्या-5746/11-5-36-52 मिस/86 दिनांक 12 अगस्त, 1986 की भावना के अनुकूल एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की जाये। बैठक में उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियम अधिनियम 1958 के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों की प्रति भी उपलब्ध कराई गई ताकि

lu

lu

आंतरिक विकास व्यय का निर्धारण कालोनी के भीतर कराये जाने वाले विकास कार्यों के वास्तविक आगमन दर 1470डब्लू0डी0 के प्रोड्यूस के अनुसार लिया जाता है। वाह्य विकास शुल्क किस दर से लिया जाये इसका कोई निश्चित मापदण्ड नहीं है। भिन्न-भिन्न प्राधिकरणों में भिन्न भिन्न प्रक्रियाएँ अपनाई गई हैं। इसलिए यह विचारणीय है कि वाह्य विकास शुल्क का निर्धारण किस रीति से किया जाये।

यह भी प्रश्न उठाया गया कि कालोनाइजर द्वारा जो विकास कार्य किये जा रहा है वह निर्धारित मापदण्ड के अनुसार संतोषजनक है अथवा नहीं इसका पर्यवेक्षण कैसे किया जाये। क्या इतने हेतु कालोनाइजर्स से कोई सुपर-विजन चार्ज लिया जाना चाहिए अथवा नहीं।

बैठक में उपस्थित सहयुक्त नियोजक, मेरठ ने बताया कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा आंतरिक विकास व्यय का 12 प्रतिशत भाग सुपरविजन चार्ज के रूप में लिया जाता है। प्राधिकरण के सचिव ने यह सूचना दी कि प्राधिकरण द्वारा जो उपविधियाँ बनाई गई थीं उनमें आंतरिक विकास व्यय का 16 प्रतिशत वाह्य विकास के रूप में तथा 8 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज के रूप में लिए जाने की व्यवस्था रखाई गई थी।

उपाध्यक्ष ने यह कहा कि सुपरविजन चार्ज लिए जाने से वे सहमत हैं।

lu

⇒

कालोनियों का ले आउट प्लान स्वीकृत करते समय निम्नलिखित प्रकार से विकास शुल्क के आरोपण की प्रक्रिया निश्चित की ~~गई~~ गई :-

- 1- कालोनी का आंतरिक विकास व्यय कालोनाइजर से जमा कराया जाये। यदि कालोनाइजर आंतरिक विकास कार्य स्वयं करना चाहे तो निर्धारित किया गया आंतरिक विकास व्यय की धाराओं की वैक शार्ट्स निर्माण अवधि के लिए ली जाये।
- 2- आंतरिक विकास व्यय का 16 प्रतिशत भाग वाह्य विकास व्यय के रूप में तथा 8 प्रतिशत भाग सुपरविजन चार्ज के रूप में कालोनाइजर से जमा कराया जाये।
- 3- आंतरिक विकास व्यय के लिए जमाउट बंधक रखने की प्रक्रिया अद्यतन की जाये।

lu

विचार तालिका में सुविधा हो सके। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि उक्त शासनादेश को आवासीय कालोनीयों का ले आउट स्वीकृत करते समय वास्तविक विकास शुल्क लिए जाने का प्रावधान है। वास्तविक विकास शुल्क में आंतरिक विकास शुल्क एवं वाह्य विकास शुल्क दोनों सम्मिलित होते हैं। आंतरिक विकास व्यय का निर्धारण कालोनी के भीतर कराये जाने वाले विकास कार्यों के वास्तविक आगमन दर 1पी0डब्लू0डी0 के प्रोड्यूस के अनुसार लिया जाता है। वाह्य विकास शुल्क किस दर से लिया जाये इसका कोई निश्चित मापदण्ड नहीं है। भिन्न-भिन्न प्राधिकरणों में भिन्न भिन्न प्रक्रियाएँ अपनाई गई हैं। इसलिए यह विचारणीय है कि वाह्य विकास शुल्क का निर्धारण किस रीति से किया जाये।

यह भी प्रश्न उठाया गया कि कालोनाइजर द्वारा जो विकास कार्य किये जा रहा है वह निर्धारित मापदण्ड के अनुसार संतोषजनक है अथवा नहीं इसका पर्यवेक्षण कैसे किया जाये। क्या इस हेतु कालोनाइजर्स से कोई सुपर-विजन चार्ज लिया जाना चाहिए अथवा नहीं।

बैठक में उपस्थित सहयुक्त नियोजक, मेरठ ने बताया कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा आंतरिक विकास व्यय का 12 प्रतिशत भाग सुपरविजन चार्ज के रूप में लिया जाता है। प्राधिकरण के सचिव ने यह सूचना दी कि प्राधिकरण द्वारा जो उपविधियाँ बनाई गई थी उनमें आंतरिक विकास व्यय का 16 प्रतिशत वाह्य विकास के रूप में तथा 8 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज के रूप में लिए जाने की व्यवस्था रखी गई थी।

उपाध्यक्ष ने यह कहा कि सुपरविजन चार्ज लिए जाने से वे सहमत नहीं हैं क्योंकि प्राधिकरण के अभियन्त्रण स्टाफ द्वारा हर कालोनी में सुपरविजन कार्य किया जाना संभव नहीं है। बरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, श्री हरेकृष्ण शर्मा ने यह कहा कि जिस क्षेत्र का ले आउट है उस पूरे क्षेत्र का वाह्य विकास व्यय निकाल लिया जाना चाहिए। फिर जितने क्षेत्रफल का ले आउट दाखिल है उतने ही क्षेत्रफल पर पड़ने वाली प्रोपोर्शनल धनराशि के आधार पर तय कर लिया जाना चाहिए। इस संबंध में यह कठिनाई व्यक्त की गई कि कहीं-कहीं दाखिल छोटे-छोटे ले आउट प्लान पर पूरे क्षेत्र के वाह्य विकास को निकालने में बड़ी कठिनाई आयेगी। प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्य श्री डाल चन्द्र छापर एवं श्री सुरेश कुमार शर्मा ने यह कहा कि वाह्य विकास शुल्क तथा सुपरविजन चार्ज नकद ही जमा कराया जाये। उन्होंने यह भी कहा कि आंतरिक विकास व्यय के लिए कालोनाइजर्स से प्लान बंधक कराने की प्रक्रिया अच्छी नहीं है।

lu



विषय :- ऋषिकेश में भूमि के अनधिकृत विभाजन के दो मामलों पर विचार ।

ऋषिकेश में कुछ स्थानों पर कालोनाइजरो व्दारा अनधिकृत रूप से प्लॉट काटकर बेच दिए गए हैं । इन स्थानों पर दाखिल होने वाले भवन मानचित्रों पर स्वीकृति नहीं दी गई है । एक मामले में प्राधिकरण में एक ले-आउट प्लान भी दाखिल किया गया है । विस्तृत विवरण इस प्रकार है :-

1- अशोक पार्क कालोनी :-

ऋषिकेश में खासरा नं०-74 मि०सुबला में 91 प्लॉट काटे गए हैं। हरिद्वार-ऋषिकेश बाई पास रोड से 60 फुट चौड़ी एक कच्ची सड़क निकाली गई है जो लगभग 200 फुट दूर जाकर कालोनी से मिलती है । इस कालोनी में 20 फुट, 30 फुट तथा 40 फुट चौड़ी सड़कें छोड़ी गई है, परन्तु कालोनाइजर भूखण्डों को बेचकर अलग हट गया है । यहां अभी कोई निर्माण नहीं हुआ है । प्राधिकरण में यहां के अभी तक 4 मानचित्र दाखिल हुए हैं जिनमें से एक अस्वीकृत किया जा चुका है ।

2- रामनगर के पास गैस गोदाम के निकट :-

यह कालोनी हरिद्वार से ऋषिकेश जाने वाली सड़क से लगभग 450 मीटर दूर है । मुख्य सड़क से कालोनी तक पहुंच मार्ग केवल 20 फुट चौड़ा है और कच्चा है। कालोनी में कुल 53 भूखण्ड हैं और कालोनी के भीतर आर०बी०ओ० एक्ट के अनुसार 10 प्रतिशत पार्क छोड़ा गया है । आंतरिक सड़कों की चौड़ाई 30 फुट है। यहां पर मुख्यतया आई०डी०पी०एल० के कर्मचारियों व्दारा प्लॉट खरीदे गए हैं । अभी यहां पर निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है । पूर्व में दो मानचित्र अस्वीकृत किए जा चुके हैं । यहां का वास्तविक विकास श्रुल्क न तो कालोनाइजर देने को तैयार है और न ही प्लॉट मालिक देने को तैयार हैं ।

ऋषिकेश में जल आपूर्ति की व्यवस्था जल संस्थान व्दारा सीधे की जाती है। जिन-जिन कालोनियों का जिक्र ऊपर किया गया है वहां आस-पास सीवर रिस्र नहीं है न ही निकट भविष्य में डाले जाने की संभावना है । अतः उचित होगा कि केवल सड़क, नालियों, पार्क विकास एवं मार्ग प्रकाश पर होने वाले वास्तविक व्यय को लेकर मानचित्र स्वीकृत किए जायें ।

मद संख्या:-6

अधिकेता में भूमि के अनधिकृत विभाजन के दो मामलों पर विचार ।

अधिकेता में अनधिकृत प्लानिंग के दो मामलों पर विचार किया गया । श्री हरे कृष्ण शर्मा, बरिष्ठ नियोजक ने सुझाव दिया कि जित जगह पर पार्क नहीं छोड़े गये हों वहाँ निर्धारित क्षेत्रफल के पार्क अगल बगल की भूमि को प्राधिकरण द्वारा क्रय कर लेना चाहिए अथवा अधिग्रहीत कर लेना चाहिए और उक्त पार्क का जो मूल्य आता हो वह कालोनी के विकास व्यय में जोड़ दिया जाना चाहिए । यदि इस दर से जो विकास व्यय आता है वह कालोनी के प्लान्ट होल्डर देने को तैयार हों तभी इन कालोनियों का विनियमितीकरण किया जाना चाहिए। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि बरिष्ठ नियोजक के उपर्युक्त सुझाव के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा अधिकेता की उपर्युक्त कालोनियों में वर्तमान स्थिति के अनुसार वास्तविक विकास व्यय लेकर ही यहाँ के मानचित्र स्वीकृत किए जाने चाहिए ताकि कालोनियों का विकास सुनिश्चित हो सके ।

मद संख्या - 7

विषय:- हर की पौड़ी के समीप मानचित्रों की स्वीकृति के संबंध में ।

इस विषय पर प्राधिकरण की विगत बैठक में एक विस्तृत प्रस्ताव रखा गया था और साथ ही श्री जोगेन्द्र सिंह आदि द्वारा प्रस्तुत किए गए एक बहु-मंजिले होटल के मानचित्र सं०-246/87-88 पर भी विचार विमर्श हुआ था । प्राधिकरण ने निर्णय लिया था कि हर की पौड़ी के ऊपर सड़क के किनारे पहाड़ की ढलान पर व्यक्तिगत भूमियों पर मानचित्र की स्वीकृति देने के पूर्व निम्नलिखित विभागों से कतिपय विन्दुओं पर परामर्श प्राप्त कर लिया जाय :-

- 1- भूतत्व एवं खानिकर्ष विभाग - भूमि के स्थायित्व के संबंध में ।
- 2- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग - सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से रलीवेजान आदि के संबंध में ।
- 3- सार्वजनिक निर्माण विभाग - पार्किंग, मार्ग विस्तार तथा अन्य तकनीकी विन्दुओं के संबंध में ।
- 4- रेलवे विभाग - रेलवे सुरंग की सुरक्षा के संबंध में ।

उपर्युक्त विन्दुओं पर समस्त विभागों की राय प्राप्त हो गई है जो प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

विभाग ने यह कहा कि कुम्भ मेलों के अवसर पर हरकी पौड़ी के पास मार्ग विस्तार तथा पार्किंग की आवश्यकता पड़ती है। यह नहीं कहा जा सकता कि आगामी 30-40 वर्षों में यहाँ पार्किंग की आवश्यकता क्या होगी तथा कितनी सड़क की चौड़ाई वांछित होगी। उनकी राय में यहाँ कोई भवन बनने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।

5- श्री हरेकृष्ण शर्मा, वरिष्ठ नियोजक ने कहा कि वे अपने विभाग का मत लिखित रूप से अवगत करा चुके हैं।

6- अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उनका दृढ़ विचार है कि हरकी पौड़ी के क्षेत्र का व्यापारिक गतिविधियों के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस स्थान का धार्मिक स्वरूप तथा यहाँ की प्राकृतिक शोभा को बनाये रखना परम आवश्यक है। अतः यहाँ किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

बैठक के दौरान मानचित्र संख्या-246/87-88 से संबंधित पक्ष ने व्यक्तिगत सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर प्राधिकरण ने श्री संजय माहेश्वरी तथा श्री जोगेन्द्र सिंह को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया। पक्ष ने यह कहा कि यहाँ की भूमि अत्यन्त कीमती है और यहाँ का मानचित्र पूर्व में भी संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण द्वारा इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। अन्यथा पक्ष की आजीविका का अन्य कोई साधन नहीं रहेगा। अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि इस मानचित्र का निस्तारण उपाध्यक्ष द्वारा शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

चूँकि यहाँ के मानचित्रों की स्वीकृति के संबंध में सदस्यों की राय भिन्न-भिन्न थी अतः अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि सदस्यगण इस विषय में अपनी राय एक सप्ताह के भीतर प्राधिकरण के सचिव को दे सकते हैं जिसे बैठक की कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बहुमत इस पक्ष में था कि प्रस्तावित स्थल पर कोई निर्माण न होने दिया जाये।

हरकी पौड़ी के अर सदस्य के विचारों पर ध्यान देकर स्थानीय भूमिकों पर निर्माणों की स्वीकृति देने के संबंध में प्राधिकरण की विभिन्न बैठक में भी विचार किया गया था। उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भूमि के स्थायित्व, भूतलों के स्वीकारण, पार्किंग सुविधा, मार्ग विस्तार एवं सर्वांगमय रेलवे सुरंग के संबंध में संबंधित विभागों से राय प्राप्त कर ली जाये तथा उसे प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि भूतत्व एवं नानिर्कर्म विभाग ने कुछ प्रावधानियों के साथ यहाँ की भूमिकों निर्माणों के लिए उपयुक्त बताया है तथा उन्होंने भूमि के स्थायित्व/उपयुक्तता का प्रमाणपत्र निर्गत किया है। रेलवे विभाग ने यह सूचित किया है कि यहाँ होने वाले निर्माणों से रेलवे की सुरंग को किसी क्षति की संभावना नहीं है। प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने यहाँ के लिए बनाये गये आर्कीटेक्चरल कंट्रोल डिजाइन की एक प्रतिलिपि उपलब्ध कराई है। अधीक्षक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस संबंध में भेजे गये पत्र को पढ़कर सुनाया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि वर्तमान समय में इस भूमि पर मार्ग विस्तार अथवा पार्किंग हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की कोई योजना नहीं है। विभिन्न विभागों से प्राप्त उपर्युक्त सुझावों के प्रकाश में श्री जोगेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए बहुमंजिले होटल के मानचित्र संख्या-246/87-88 पर भी विचार विमर्श हुआ।

विभिन्न सदस्यों ने निम्नलिखित सुझाव व्यक्त किए :-

- 1- श्री एसपी ठाकुर, महा प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, हरिद्वार ने कहा कि हरकी पौड़ी का क्षेत्र बहुत घना आबाद है और यहाँ पार्किंग का स्थान बहुत कम है, यहाँ सीवर लाइन पर अधिक भार डालना भी उचित नहीं है। अतः इस स्थान पर किसी निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।
- 2- गैर सरकारी सदस्य श्री डाल चन्द्र छाहर ने कहा कि यह मानचित्र प्राधिकरण कार्यालय में बहुत दिनों से लम्बित है। इस मानचित्र के लिए अनेक विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगे गये। सभी विभागों ने अनापत्ति प्रमाणपत्र भेज दिए हैं। प्राधिकरण की पिछली बैठक में यह कहा/विचार विभागों से फिर परामर्श प्राप्त कर लिया जाये। इन विभागों की रिपोर्ट भी आ गई है अतः इस मानचित्र को अस्वीकृत करने का कोई आधार नहीं है।
- 3- श्री सुरेश कुमार शर्मा ने यह कहा कि इस स्थान पर निर्माण करने की अनुमति पक्ष को पूर्व में कई बार मिल चुकी है परंतु अधिक कारणों से निर्माण नहीं किया जा सका। यहाँ सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पार्किंग हेतु भूमि का अधिग्रहण अलग से किया जा रहा है। प्रस्तावित होटल का निर्माण पार्किंग की भूमि के पीछे है। महापौरजी ने एक बैठक भी सलिया है इस लिए श्री जोगेन्द्र सिंह आदि का सार्वजनिक निर्माण जाया चाहिए।

श्री एसपी ठाकुर, अधीक्षक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण

मद संख्या:- 8

विषय:- विकास व्यय का कुछ भाग नगरपालिका हरिद्वार को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में ।

नगरपालिका हरिद्वार ने मांग की है कि प्राधिकरण द्वारा हरिद्वार नगरपालिका क्षेत्र से जो विकास शुल्क प्राप्त किया जाता है उसका कुछ भाग नगरपालिका को हस्तांतरित कर दिया जाय ।

प्राधिकरण की प्रथम बैठक दिनांक 13-11-86 में यह निर्णय लिया गया था कि प्राधिकरण के गठन की विज्ञप्ति जारी होने के बाद नगरपालिका हरिद्वार तथा नगरपालिका अधिकारों द्वारा जो विकास शुल्क वसूल किया गया है वह प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाय । इस निर्णय का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है ।

प्राधिकरण के समक्ष नगरपालिका हरिद्वार के उपर्युक्त अनुरोध को प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि इस विन्दु पर निर्णय लेने की कृपा की जाय ।

मद संख्या:- 8

विकास व्यय का कुछ भाग नगरपालिका हरिद्वार को हस्तांतरित
किए जाने के संबंध में ।

प्राधिकरण द्वारा वसूले गये विकास व्यय का कुछ भाग नगरपालिका
को हस्तांतरित किए जानेके प्रश्न पर विचार विमर्श हुआ । इस संबंध
में विचारोंपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अन्य प्राधिकरणों
से पूछ लिया जाये कि वह सम्बन्धित नगरपालिकाओं/नगर महापालिकाओंको

- 9 -

विकास व्यय का कुछ भाग दे रहे हैं अथवा नहीं । इस संबंध में अन्य
प्राधिकरणों द्वारा बनाई गई प्रक्रिया की परीक्षा करने के उपरांत
ही निर्णय लेना उचित होगा ।

विषय:- हरिद्वार विकास क्षेत्र में सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से भवनों का रंग निर्धारित करने के संबंध में ।

कतिपय महानगरों में सौन्दर्यीकरण को ध्यान में रखाते हुए महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में भवनों का एक समान कलर पैटर्न तय किया गया है । इस हेतु संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा वाइलाज भी तनाये गये हैं । विकास क्षेत्र में निम्न-लिखित स्थानों पर एक समान कलर स्कीम लागू किए जाने पर विचार किया जाना आवश्यक है :-

- 1- हरिद्वार में हर की पौड़ी का क्षेत्र ।
 - 2- गंगा नहर के किनारे स्थित भवन जो डाय कोठी से हर की पौड़ी तक निर्मित है ।
 - 3- स्वर्गाश्रम क्षेत्र जो गंगा के किनारे स्थित है ।
 - 4- मुनि की रेती/लक्ष्मणबूला का क्षेत्र जो गंगा के किनारे स्थित है ।
- उपर्युक्त स्थानों के भवनों का रंग निर्धारित करने हेतु विचार विमर्श आवश्यक है । इस निर्णय के क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी तय होनी चाहिए । प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

- 10 -

सद संख्या- 10

विषय:- कमजोर वर्गों को विकास शुल्क एवं सेट बैक में छूट के संबंध में ।

प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्य श्री डाल चंद्र छापर ने इस बैठक में विचार विमर्श हेतु यह प्रस्ताव किया है कि कमजोर वर्गों एवं पिछड़ी जाति के लोगों के छोटे-छोटे भूखण्डों पर विकास शुल्क सामान्य दर से एक चौथाई दर से लगाया जाय साथ ही उनके मानचित्र स्वीकृत करते समय सेट बैक में भी रिहायत दी जाय ।

प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

मत संख्या:- 9

हरिद्वार विभाजित क्षेत्र में सौन्दर्यकरण की दृष्टि से भवनों का रंग निर्धारित करने के संबंध में ।

हरिद्वार ऋषिकेश के गंगा के किनारे स्थित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भवनों के एक समान कलर पैटर्न तय करने पर विचार व्यक्त किया गया। इस प्रस्ताव पर रिडान्त रूप से सहमति व्यक्त की गई एवं निर्णय लिया गया कि अगली बैठक में इस संबंध में ठोस और विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें।

मत संख्या:- 10

कमजोर वर्गों को विकास श्रुत्क एवं सैट बैंक में छूट के संबंध में ।

यह प्रस्ताव श्री डाल चन्द्र छापर, सदस्य के अनुरोध पर बैठक में विचारार्थ रखा गया था। अध्यक्ष महोदय ने यह मत व्यक्त किया कि किसी जाति विशेष अथवा किसी विशिष्ट आर्थिक वर्ग को विकास श्रुत्क अथवा सैट बैंक में छूट दिए जाने की कोई प्रक्रिया नहीं रहनी है। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि कहीं इस प्रकार का कोई उदाहरण सामने नहीं आया है। शासन द्वारा मलिन वस्तियों के सुधार हेतु अलग से योजनायें चलाई जा रही हैं। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण पर शासन को तंदर्भ भेजकर निर्देश प्राप्त कर लिए जायें।

विषय:- पार्कों के विकास एवं अनुरक्षण के संबंध में ।

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या- 1958 ए/11-7-88 दिनांक 29-7-88 द्वारा निर्देशित किया गया है कि हरिद्वार नगर के सौंदर्यीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया जाय । इसी तारतम्य में नगरपालिका हरिद्वार ने प्रस्तावित किया है कि नगर के कुछ महत्वपूर्ण पार्क विकास एवं अनुरक्षण हेतु प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिए जाय । अन्य प्राधिकरणों में भी ऐसा किया जाता है ।

इस प्राधिकरण के पास उद्यान कार्यों से संबंधित कोई स्टाफ नहीं है । इस हेतु वांछित स्टाफ उद्यान निरीक्षक, माली आदि उपलब्ध होने पर ही प्राधिकरण यह उत्तरदायित्व वहन कर सकेगा । इस कार्य हेतु निम्नलिखित स्टाफ की आवश्यकता होगी ।

1- उद्यान निरीक्षक 1

2- माली 12

इस स्टाफ से 6 पार्कों की देखा-रेखा की जा सकती है ।

प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

बैठक में हरिवंदार के महत्त्वपूर्ण पार्कों की तुरंत उपलब्ध कराई गई । विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कुछ महत्त्वपूर्ण पार्कों के विकास एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व प्राधिकरण को वहन करना चाहिए । इसके लिए आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति कर ली जाये । प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि वर्तमान में उद्यान के रखरखाव से संबंधित कोई स्टाफ तृजित नहीं है परंतु प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न में इसकी प्रावधान किया गया है । विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अपरिहार्य परिस्थितियों में पार्कों के रखरखाव हेतु शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में नियुक्ति की कार्यवाही की जाये ।

(Handwritten signature/initials)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय:-

श्री सुरेश कुमार शर्मा ने यह कहा कि प्राधिकरण के अभियन्ताओं के साथ योजनाओं में सुपरवाइजर नहीं लगाये गये हैं कितने अभियन्ताओं को कठिनाई हो रही है । अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि इस संबंध में उपाध्यक्ष आवश्यकतानुसार दैनिक वेतन पर स्टाफ रखकर काम चला सकते हैं ।

अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के बाद बैठक समाप्त हुई ।

(Signature)
25/9/88
[आर०एन०उपाध्याय]
तयिम

(Signature)
हरिचन्द्र शीवास्तवा
उपाध्यक्ष

(Signature)
के०ब० म० मि०
अध्यक्ष

हरिवंदार विकास प्राधिकरण, हरिवंदार विकास प्राधिकरण । किलाधिकारी, लखनऊ
हरिवंदार